न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री दौलतराम चौधरी आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 62/2011

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
1 मृ0 दीपाराम के का0मु0:– भवरीदेवी पत्नी दीपाराम वगैरह जातियान माली साकिन सोजतसिटी।	1 खीवाराम उर्फ खीवराज पुत्र हंसाराम के का0मु0 पिस्तादेवी पत्नी दुर्गाराम वगैरह जातिगणमाली साकिन सोजतसिटी

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी

1. श्री ताराचन्द भाटी एवं श्री देवेन्द्र व्यास अधिवक्तागण प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री गिरीशनाराण भटट् एवं श्री रमेश टांक अधिवक्तागण अप्रार्थीगण उपस्थित।

–: आदेश :– **दिनांक 31.12.2019**

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दिनांक 23.05.2011को राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि उपरोक्त उनवानी वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें माननीय न्यायालय ने अपने आदेश/निर्णय दिनांक 24.02.2011 को पारित करते हुए वाद में मृतक प्रतिवादी संख्या 1 के का0मु0 बाबत् प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.2006 व उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 का देहान्त किस तारीख को हुआ है, अंकित नहीं किया है । इस कारण वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी अस्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध वाद एबेट किया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष वादी/प्रार्थी ने प्रतिवादी संख्या 1 खींवाराम पुत्र हंसाराम की मृत्यु हो जाने व उसके का0मु0 को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु मय वारिसान के नाम पतों सहित प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद दिनांक 24.05.2006 को प्रस्तुत कर दिया था तथा प्रार्थना पत्र के साथ मृतक की मृत्यु बाबत् मृत्यु प्रतिवेदन पत्र जो अधिशांषी अधिकारी नगरपालिका सोजत द्वारा जारी किया गया की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें मृत्यु दिनांक 27.04.2006 अंकित की हुई है। जिसका अंकन दिनांक 28.04.2006 को हुआ है। जिससे स्पष्ट है कि का0 मु0 की कार्यवाही अन्दर म्याद कर दी गयी हैं, जिसे अबेट नहीं किया जा सकता था। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कायम मुकाम के प्रा0 पत्र दिनांक 24.05.2006 पर प्रतिवादीगण द्वारा लिये गये ऐतराज के आधार पर केवल प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री विद्या देवी जो मृतक थी के पति को का0मु0 बनाये जाने हेतु लिये गये थे जिसका निर्णय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 31.10.2006 को किया गया जिसके अनुसार ऐतराज उचित नही माना गया है। जिससे स्पष्ट है कि का0मु0 की कार्यवाही विधिक रूप से हो चुकी थी। दिनांक 07.02.2011 की पेशी के रोज अभिभाषक वादी को ज्ञात हुआ कि पत्रावली पर का0मु0 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत मृत्यु प्रतिवेदन पत्र की प्रति जो संलग्न कर प्रस्तुत की थी, पत्रावली पर नहीं है । तब दिनांक 08.02.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु की तारीख बाबत मृत्यु प्रतिवेदन की फोटो प्रतिलिपि मय फर्द दस्तावेजात के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की जो पत्रावली पर उपलब्ध है। विधिक प्रावधानों के अनुसार किसी भी मृतक व्यक्ति के वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु वादी/प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में निर्धारित अवधि 90 दिन के अन्दर कार्यवाही किया जाना होता है जिसके तहत वादी ने प्रतिवादी मृतक खींवाराम की मृत्यु दिनांक 27.04.2006 के एक माह की अवधि में ही कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.2006 को प्रस्तुत कर दिया था जो नियमानुसार होकर अन्दर म्याद प्रस्तुत था और एबेटमेंट नहीं किया जा सकता था। दिनांक 24.02.2011 को माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 खीवाराम के का0मु0 प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.2006 को निरस्त कर एबेट किये जाने की कार्यवाही उपरोक्त परिस्थितियों में काबिल निरस्तनीय है और का0मु0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से न्यायालय हाजा

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

के आदेश दिनांक 24.02.2011 को निरस्त कर वाद पुनः नम्बर पर लिये जाने योग्य है। वादी/प्रार्थी को न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 24.02.2011 की जानकारी दिनांक 03.05.2011 को हुई व उसी दिन नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 17.5.2011 को नकल प्राप्त हुई तथा नकल प्राप्ति पर अबेटमेंट का ज्ञान हुआ जिस पर अभिभाषक से विधिक सलाह लेकर उनकी सलाह के आधार पर यह प्रार्थना पत्र बाबत अबेटमेंट निरस्ती हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। न्यायालय के समक्ष का0मु0 के प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.2006 पर निर्णय किये जाने से पूर्व यह देखा जाना चाहिए था कि विविध प्रावधानों के अनुसार मृत्यु दिनांक से 90 दिवस की अवधि में का0 मु0 की कार्यवाही हुई अथवा नही ? जो कि अन्दर म्याद हो चुकी थी, मृत्यु की दिनांक अंकित नही किये जाने से का0 मु0 के प्रार्थना पत्र को म्याद बाहर नही माना जा सकता था और अबेटमेंट नही माना जा सकता है। फिर भी मृत्यु की दिनांक के प्रमाणिकरण हेतु प्रार्थी/वादी ने मृत्यु प्रतिवेदन की प्रति पुनः प्रस्तुत कर दी थी, जो निर्णय पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध थी। ऐसी स्थिति में का0मु0 का प्रार्थना पत्र पूर्ण नियत अवधि में था इस कारण अबेटमेंट के ओदश काबिल निरस्तीकरण योग्य है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी तथा धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्रादि पेश कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाये जाने तथा आदेश /निर्णय दिनांक 24.02.2011 को निरस्त (रिकॉल) फरमाया जाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 के का0मु0 के प्रार्थना पत्र 24.05.2006 को स्वीकार किये जाने व वाद की सुनवाई बाद गुणावगुण के आधार पर किये जाने की ईश्तदुआ की है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथपत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवानी वाद न्यायालय हाजा में जैरकार था जिसमें वास्ते सुनवाई दिनांक 07.02.2011 को पेशी थी, उस दिन अधिवक्ता वादी ने वादी को बताया की प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम प्रार्थना पत्र कें संलग्न मृत्यु प्रतिवेदन पत्र की प्रति संलग्न नही है। दिनांक 08.02.2011 को अधिवक्ता वादी को वादी ने मृत्यु प्रतिवेदन पत्र की प्रति पुनः दी, जो फर्द दस्तावेजात के साथ प्रस्तुत की गई तथा वाद में अग्रीम कार्यवाही हेतु पत्रावली पी0ओ0 साहब ने रख ली थी। जिसमें निर्णय दिनांक 24.02.2011 को होने की सूचना अधिवक्ता मय वादी को नही दी गई। दो माह से भी ज्यादा समय हो जाने पर वादी ने अपने पुत्र हरिराम पुत्र दीपाराम सांखला को जानकारी हेतु भेजा, जिस पर दिनांक 03.05.2011 को न्यायालय के रीडर महोदय से जानकारी हुई की उक्त वाद में दिनांक 24.02.2011 को ही निर्णय हो चुका है। जिस पर उसी दिन नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 17.05.2011 को नकल प्राप्त कर बाद विधिक सलाह से आज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी के समक्ष प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर तारिख निर्णय की जानकारी के अभाव में गुजरे समय को उक्त परिस्थितियों के मध्य नजर क्षम्य किये जाने तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी को अन्दर म्याद शुमार करते हुये वाद की सुनवाई गुणावगुण के आधार पर किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिसेज वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दिनांक 14.09.2011 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया कि प्रार्थी दीपाराम पुत्र खीवाराम का दिनांक 14.08.2011 को निधन हो गया जिसके विधिक वारिसान 1/1 से 1/6 के प्रति राईट टू स्यू सरवाईव करने के कारण मृतक के उक्त वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर अधिवक्ता अप्रार्थीगण को कोई आपति नही होने से स्वीकार माना जाता है, कायम मुकान की और से वकालत नामा शामिल मिसल है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दिनांक 07.05.2012 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी रेडविथ धारा 151 सीपीसी पेश किया कि वादी दीपाराम बनाम प्रतिवादी खीवाराम वगैरा के अनुवानी एक राजस्व वाद सख्या 135/2005 न्यायालय हाजा में विचाराधीन था। न्यायालय हाजा ने अपने आदेश दिनांक 24.01.2011 को पारित करते हुए वाद में मृतक प्रतिवादी संख्या 1 के का0मु0 बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनाक 24.05.2006 के समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 का देहान्त किस तारीख को हुआ, प्रार्थना पत्र से अंकित नही किया

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

है। इस कारण से वादी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी अस्वीकार किया जाता है। वाद के अबेटमेंट निरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र वादी द्वारा उसी समय अंतर्गत आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी पेश किया जो दर्ज रजिस्टर होकर मुकदमा संख्या 62/2011 के नाम से आज भी विचाराधीन है। उक्त अनवान प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 भोलकी पुत्री हंसाजी पत्नि सुखाराम जाति माली निवासी बेरा गुदावा का स्वर्गवास दिनांक 01.03.2011 को हो गया है जिसकी जानकारी वादीगण को कतई नहीं हुई व दिनांक 03.05.2012 को वादी गण पी0एफ0 सम्मन पेश करने का आदेश होने पर भोलकी का सम्मन भरते वक्त बाबूलाल पुत्र भीवाराम माली निवासी सोजत ने बताया कि भोलकी की मृत्यु हो गयी है तथा उस द्वारा बताये जाने पर दिनांक 03.05.2012 को भोलकी की मृत्यु होने की जानकारी वादी गण को सर्वप्रथम हुई, उससे पूर्व जानकारी नही थी। भोलकी देवी पत्नी सुखाराम माली के वारिसान 01. देवाराम पुत्र सुखाराम माली 02. गंगा देवी पत्नि प्रकाश माली को रेकर्ड पर लिये जाने की ईश्तदुआ की है। इसी प्रकार अधिवक्ता वादी/प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 24.01.2013 को प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश दिनांक 22 नियम 4 रेडविथ धारा 151 सीपीसी पेश किया कि वादी/प्रार्थीगण के का0मु0 की ओर से उपरोक्त अनवान का मुकदमा सं0 62/2011 न्यायालय हाजा में विचाराधीन है इसी बीच प्रतिवादीगण संख्या 1/1 दुर्गाराम पुत्र खीवराज उर्फ खीवाराम का देहान्त 15.11.2012 को हो गया जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र साथ संलग्न है। दुर्गाराम के का0मु0 01/1. पिस्ता देवी पत्नि दुर्गाराम 1/02. पुखराज पुत्र दुर्गाराम 1/03. सुरेशसिंह पुत्र दर्गाराम 2. पुखराज पुत्र दुर्गाराम के का0मु0 2/1 आशा देवी पत्नि दुर्गाराम 2/2 हिमांशु पुत्र दुर्गाराम 2/3 दीक्षा पुत्री दुर्गाराम 04. तारा देवी पुत्री दुर्गाराम पत्नि सुरेश उपरोक्त सभी मृतक दुर्गाराम पुत्र खींवाराम के विधिक वारिसान है और उक्त सभी वली वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने की ईश्तदुआ की है। जिसे बाद विधिक सुनवाई उभय पक्ष, प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.2017 को स्वीकार किया जाकर का0मु0 रेकर्ड पर लिए गये है।

न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में विचाराधीन राजस्व वाद सख्या 135/2001 दीपााम बनाम खीवाराम उर्फ खिवराज वगैरह में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पर बाद विधिक सुनवाई न्यायिक प्रकिया से प्रारित आदेश दिनांक 24.02.2011 को पारित किया गया । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सख्या 1 खीवाराम उर्फ खीवराज का स्वर्गवास हो चुका है, जिनके कायम मुकाम 1/1. – दुर्गाराम पुत्र खीवराज उर्फ खीवाराम, 1/2. – हीरालाल पुत्र खीवाराम उर्फ खीवराज बेरा बादरली, सोजतसिटी, 1/3. – सोहनी देवी पत्नि मोहनलाल पुत्री खीवाराम उर्फ खीवराज निवासी धोलीवाड़ी का बास, सोजतसिटी, 1/4. – विधा देवी पुत्री खीवाराम उर्फ खीवराज पत्नि रामलाल जाति निवासी मालियो का बड़ा बास, सोजतसिटी (फौत) के का0मु0, 1/4/1.– प्रकाश पुत्र रामलाल, 1/4/2. – जगदीश पुत्र रामलाल, 1/4/3.– हुक्माराम पुत्र रामलाल, 1/4/4.– तुलसी देवी पुत्री रामलाल पत्नि कैलाश पुत्र बुदाराम तमाम निवासी मेहन्दी बेरा, सोजतसिटी, 1/5. – नर्बदा देवी पुत्री खींवाराम उर्फ खीवराज पत्नि छैलाराम जाति माली निवासी बेरा नोकड़ा सोजतसिटी, 1/6.– कमला देवी पुत्री खीवाराम उर्फ खीवराज जाति माली पत्नि प्रेमजी जाति माली निवासी बिचला नेमा के पास बेरा गौरवा सोजतसिटी तहसील सोजत को प्रतिवादी खीवाराम उर्फ खीवराज के का0मु0 बनाये जाने की ईश्तदुआ की गई उक्त प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकान अधिवक्ता द्वारा जबाब प्रस्तुत नही किया गया। बहस प्रार्थना पत्र वकुलाय सुनी गई बाद विधिक सुनवाई गई विद्वान अभिभाषक वादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 खींवाराम फौत होने पर प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र नियत अवधि में पेश किया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाकर प्रतिवादी संख्या 1 खींवराज के का0मु0 को रेकर्ड पर लिये जाने की ईश्तदुआ की कायम मुकाम के अधिवक्ता ने बहस का जबाव प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादी का प्रार्थना पत्र अपूर्ण एवं अस्पष्ट है। प्रार्थना पत्र में यह कही भी उल्लेखित नहीं किया है कि प्रतिवादी का देहान्त किस तारीख को हुआ है। वादी ने बहस में प्रार्थना पत्र नियत अवधि में पेश करने का निवेदन किया है किंतु किस तारीख से नियम अवधि 90 प्रारम्भ होती है इसका हवाला प्रार्थना पत्र एवं बहस में नहीं किया गया है। वादी ने वाद में संशोधन की कोई कार्यवाही नही की गई है। बिना संशोधित शीर्षक के दावा पोषणीय नही है। इसलिए वादीगण का वाद खारिज योग्य होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है। विद्वान अभिभाषक वादीगण ने बहस का जबाव देते हुए निवेदन किया कि

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने के बाद ही संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया जाएगा। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का दिनांक 24.05.2006 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र में कही भी उल्लेखित नही किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 का देहान्त किस तारीख को हुआ? प्रार्थना पत्र में खीवराज के का0मु0 विधादेवी पुत्री खीवाराम उर्फ खीवराज को भी फौत होना बताया है उसकी भी फौत होने की तारीख को दर्शित नही किया गया है। वादीगण द्वारा प्रार्थना के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह जाहिर हो कि प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु किस तारीख को हुई है। इस प्रकार वादी द्वारा आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के तहत अपूर्ण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होने से वादी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का अस्वीकार किया गया एवं प्रतिवादी सांख्या 1 के विरूद्ध वाद एबेट किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया था किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 विरूद्ध वाद एबेट हो जाने से उक्त वाद वादीगण खारिज किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा इस प्रार्थना पत्र संख्या 62/2011 दीपाराम वगैरह बनाम खीवाराम उर्फ खीवराज वगैरह अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सहपठित 151 सीपीसी के प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1/1 के का0मु0 दुर्गाराम पुत्र हीरालाल, कमलादेवी, नर्वदादेवी, सोहनीदेवी की ओर से श्री गिरीशनाराण भट्ट एवं रमेश टांक अधिवक्ता ने संयुक्त वकालतनामा दिनाक 09.01.2012 को पेश किया, शा0मि0 है। अप्रार्थी संख्या कानाराम बावजुद तामिलि / सूचना अनुपस्थित रहने से दिनांक 30.08.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 29.07.2017 को प्रस्तुत आदेश 06 नियम 17 सहपठित 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र बाद विधिक सुनवाई दिनांक 30.09.2019 को स्वीकार किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1/1/1, 1/1/1/3 से 1/1/5, 1/2 से 1/7, 3/1 व 3/2 की ओर से श्री रमेशचन्द्र टांक अधिवक्ता ने वकालात नाम पेश किये, शा0मि0 है। प्रकाश, जगदीश, हुकमाराम पिता रामलाल तथा तुलसी पुत्री रामलाल, जातिगण माली साकिन सोजतसिटी अप्रार्थीगण की ओर से श्री रमेश चन्द्र टांक अधिवक्ता ने वकालातनामा पेश किया। शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण संख्या 4 से 6 को बावजुद तामिलि / सूचना बार बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 28.11.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। उपस्थित अधिवक्ता अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 सीपीसी सपठित धारा 151 तथा धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र का जबाव पेश करना नही चाहने से दिनांक 28.11.2019 को जबाब बन्द किया गया।

बहस वकुलाय दिनांक 28.11.2019 को प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी तथा धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने हस्ब प्रार्थना पत्र मय धारा 5 मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किये जाने पुर्वोक्त वाद में प्रदत्त ऐबेटमेन्ट आदेश दिनांक 24.02.2011 को निरस्त (रिकॉल) किये जाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 के का0मु0 के प्रार्थना पत्र 24.05.2006 को स्वीकार किये जाने व वाद की सुनवाई बाद गुणावगुण के आधार पर किये जाने की ईश्तदुआ की है। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दिनांक 28.11.2019 को आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 24.05.2011 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी दिनांक 07.05.2012 की लिखित बहस पेश की कि दिनांक 12.02.1965 को खीवराज द्वारा सोजत चक संख्या 2 के खेत खसरा 781 रकबा सवा चार बीघा चार बीसवा कृषि भूमि खरीदी गई जिसका म्यूटेशन संख्या 188 दिनांक 16.03.1965 को भरा गया । यह बैचाननामा आज दिनांक तक वैध है और अस्तित्व में है । केवल सिविल न्यायालय बैचाननामा को निरस्त कर सकती हैं और इस बाबत आज दिनांक तक भी कोई दावा दायर नही हुआ । मगर दीपाराम व अन्य ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में निराधार वाद प्रस्तुत कर दिया, जिसमें प्रतिवादी खीवराज के फौत होने पर दिनांक 24.05.2006 को आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के तहत अर्जी दायर की गई जिसमें न तो यह अंकित किया गया कि खीवराज कब फौत हुआ और न यह दर्ज किया गया कि अर्जी अन्दर म्याद पेश की जा रही है। आदेश 22 नियम 4 के उप नियम 3 के अधीन होने

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

वाला उप समन स्वयंमेव और स्वचालित उत्पन्न होने वाला वैधानिक परिणाम है जिस हेतु किसी अभिव्यक्त आदेश का होना जरूरी नही है और इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ए0आई0आर0 1961 राज0 पेज संख्या 72 पदमाराम बनाम सुरजा दृष्टव्य है। प्रतिवादी खीवराज के विरूद्ध वर्ष 2006 में ही वाद का उपसमन(ऐबेट) हो चुका था। प्रकरण में दोनो पक्षो के वकुलाय की उपस्थिति में दिनांक 24.02.2011 को आदेश पारित हुआ तदनुसार उपशमित सुदा वाद निस्तारित हो गया। दिनांक 23.05.2011 को आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी की अर्जी दीपाराम की ओर से प्रस्तुत की गई जिसमें खीवराज का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश सुदा होने का अभिलेख के विरूद्ध मिथ्या कथन किया है तथा दिनांक 24.05.2006 को का0मु0 की अर्जी पेश करने का उल्लेख किया गया किन्तु आज दिनांक तक न तो अर्जी मंजूर हुई है न ही मंजूर होने के काबिल है क्योकि इसमें ऐबेटमेंट निरस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया है और दिनांक 17.05.2011को ऐबेडमेन्ट का ज्ञान होने का उल्लेख किया गया है। जबकि ए0आई0आर0 1961 राज0 पेज संख्या 72 में वर्णानुसार ऐबेटमेंट तो वर्ष 2006 में ही हो चुका था। दिनांक 24.02.2011 के आदेश 47 सीपीसी के तहत रिव्यु करने का आवेदन 30 दिन में ही पेश किया जा सकता था किन्तु कोई विधिसम्मत आवेदन पेश तक नही हुआ औरे इस दरम्यान दीपाराम पुत्र हंसा खुद भी फौत हो गया। मूल दावा में भोलकी पुत्री हंसा को प्रतिवादी संख्या 3 बनाया था वह दिनांक 01.03.2011 को दीपाराम के जीवनकाल में ही फौत हो गई जिसके साढे छः माह बाद दिनांक 14.08.2011 को दीपाराम खुद फौत हुआ। भोलकी भी हंसा की पुत्री है वह दीपाराम की बहन है और एक ही गांव में रहती है। हंसा की यदि जायदाद हो तो बराबर की हकदार बनती है। इसलिए बंटवाड़ा का जिस शक्ल में दावा लाया गया उसमें भोलकी भी आवश्यक पक्षकार में सुमार हैं इसलिए उस सम्बन्ध में उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही दिनांक 30.05.2011 स्वयमेंव उपशमित हो जाती है और कार्यवाही काबिल चलने के नही रहती है लिहाजा उस उपसमन को बिना निरसत करवाए दिनांक 14.08.2011 को हुए दीपाराम के निधन की कोई पारिणामिक अर्जी आदेश 22 नियम 3 सीपीसी संधारणीय ही नही रहती है। राईट टू सू सर्ववाईव करने का मुददा तो तब उठता है जब सूईट सरवाईव कर रहा हो। खीवराज के विरूद्ध वर्ष 2006 में दावा ऐबेट हो गया दिनांक 23.05.2011 को पेश की गई आदेश 22 नियम 9 सीपीसी की अर्जी हालाकि अन्यथा भी चलने कानून काबिल नही थी वह भी प्रतिवादी भोलकी के निधन के 90 दिन बाद उपसमित (ऐबेट) हो गई तो अब दीपाराम के वारिसान की ओर से आदेश 22 नियम 3 सीपीसी की अर्जी दायर ही नही की जा सकती है। येनकेन प्रकारेण हैरान परेशान करने के लिए आधारहीन अर्जीया पेश की जा रही है और आदेश 22 नियम 9 सीपीसी की अर्जी जब खुद ही उपशमित सुदा है तो उसके बाद आदेश 22 नियम 3 की अर्जी दायर भी नही हो सकती। वादी दीपाराम व प्रतिवादी संख्या 3 भोलकी न केवल सग्गे भाई बहन है बल्कि एक ही शहर के निवासीगण और दोनो का भरा पुरा परिवार है इसलिए हरीराम का यह कथन की दिनांक 03.05.2012 को उसे भोलकी का दिनांक 01.03.2011 को देहांत होने का ज्ञान बाबुलाल के मार्फत हुआ यह कथन प्रथम दृष्टया ही अविश्वसनीय व मिथ्या है और इसमें यह उल्लेख कतई ही नही किया गया है कि दीपाराम, भंवरी, गजेन्द्र, राजेन्द्र, सुशीला या पिरता को भी भोलकी के देहांत होने का यथा समय इल्म नहीं हुआ । दिनांक 01.03.2011 को तो दीपाराम जीवित था और यदि भोलकी के बाबत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी की कार्यवाही उस समय करनी थी, तो वह दीपाराम को करनी थी । इसलिए दीपाराम का ही ज्ञान व अज्ञान सुसंगत है जबकि किसी ने भी इस बारे में एक शब्द भी नही कहा कि दिनांक 01.03.2011 से 31.05.2011 या 14.08.2011 तक दीपाराम को भोलकी के निधन के बारे में पता ही नही पड़ा हो । बाबुलाल का भी कोई शपथ पत्र पेश नही किया गया है। इस सम्बन्ध में आर0आर0टी0 2013(2) पेश 14—15 गुलाबसिह बनाम मख्खनसिंह के का0मु0 आर0आर0टी0 2011—12 एसयूपीपी. पेज 82 केदार गुर्जर बनाम रामनाथ में नजीरे प्रस्तुत की है। दिनांक 24.02.2011 को दावा खारिज हो चुका था तथा दिनांक 24.05.2006 को प्रार्थना पत्र पेश किया, ऐबेटमेंट से दावा खारिज का आदेश हो चुका है। प्रार्थीगण द्वारा आदेश की अपील, रिविजन भी नही की गई है, आदेश अन्तिम हो चुका है प्रार्थीगण ने आदेश को रिव्यु व रिकाल का लिखा है किन्तु रिव्यु के कोई ग्राउण्ड नही होने से व रिव्यु की म्याद मात्र 30 दिन होने से भी प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है। इस प्रकार अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रस्तुत लिखित बहस एवं दौराने बहस व्यक्त किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 24.05.2011 का चूँकि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम में उल्लेखित कारणों का युक्तियुक्त उल्लेख नही है। प्रावधानानुरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पूर्वोक्त वाद में बहस दिनांक 07.02.2011 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी की सुनी जाकर वास्ते आदेश रखने का उल्लेख आदेशिका में है। दिनांक 24.02.2011 को वकुलाय की उपस्थिति में मूल वाद में प्रदत्त आदेश / निर्णय दिनांक 24.02.2011 का पारित किये जाने पर भी मयाद अवधि क्षम्य किये जाने से सम्बद्ध कारण न्यायोचित नही होने से अर्थात म्याद बाहर होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है। फलस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.05.2011 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सपठित 151 सीपीसी का 07.05.2012 सव्यय खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र, दस्तावेजात , लिखित बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों / नजीरों का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकुलाय दिनांक 16.12.2019 आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं धारा 5 मयाद अधिनियम को सुनी गई, पर गहनता से अध्ययन / गौर कर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न मूल वाद पत्रावली में अंकित आदेशिका 7/2/2011 तथा पारित आदेश / निर्णय दिनांक 24.02.2011 के अनुसार वकुलाय की उपस्थिति में बहस विधिक रूप से सुनी जाकर आदेश / निर्णय पारित किया गया, का उल्लेख अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में भी अंकित किया है। इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त वाद में उक्त तिथियों को वकुलाय की उपस्थिति में बहस सुनी जाकर आदेश /निर्णय पारित किये जाने से मात्र रीडर न्यायालय हाजा से जानकारी हासिल करने पर जानकारी में आने के तथ्य अविश्वसनीय एवं मिथ्या / मनगढंत अंकित किये गये है। जिससे अधिवक्ता मय प्रार्थीगण की जानकारी में देरीना आने एवं नकल प्राप्त समय पर न कर देरीना प्राप्त करने के पश्चात किये गये विलम्ब को क्षम्य किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत नही होता है। फलस्वरूप धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र में दर्शित कारण युक्तियुक्त एवं स्वीकार योग्य नही होने से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। फलस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा देरीना प्रस्तुत आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का पोषणीय नही होने से अर्थात प्रावधानों के विपरित मयाद बाहर होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

–::आदेश ::–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सपठित 151 सीपीसी के संलग्न प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र में दर्शित कारण युक्तियुक्त एवं स्वीकार योग्य नही होने से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। फलस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा देरीना प्रस्तुत आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का पोषणीय नही होने से अर्थात प्रावधानों के विपरित मयाद बाहर होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र पत्रावली [illegible]ार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी सोजत राजस्थान

(दौलतराम चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner